

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, खारा महेचान


प्रकरण सं.:- 97/2018

दिनांक:- 12.6.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1470

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी कमठाई व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम सोढो की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत 2070-2073 में खाता संख्या 28 के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि घेवरचन्द पुत्र हेमाराम के स्थान पर घेवरराम पुत्र हेमाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 12.6.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1471 - 1473

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री घेवरराम पुत्र हेमाराम निवासी सोढो की ढाणी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी